न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 89/2016 दायरा दिनांक : 10.02.2016

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

हरिशंकर पुत्र श्री रामभरोस, जाति धाकड, निवासी बरखेडा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जिला कलेक्टर, झालावाड के प्रकरण संख्या – 255/2014 निर्णय दिनांक 28.09.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, अन्ता के द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.09.2014 से रेस्पोडेंट हरिशंकर को ग्राम

बरखेडा की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.13 हेक्टर में से 0.01 हेक्टर आराजी धारा 251 ए के तहत उखण्ड अधिकारी, अन्ता के निर्णय से रास्ता दर्ज की गई थी, जिस पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर शास्ति और बेदखली का आदेश पारित किया था । जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर, बारां के समक्ष पेश की गई । विद्वान जिला कलेक्टर, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2015 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, अन्ता के आदेश को निरस्त किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट के द्वारा ग्राम बरखेडा की खसरा नम्बर 199 की आराजी 0.01 हेक्टर पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अतिक्रमी मानते हुए उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें बेदखल किया गया और रास्ता बहाल किया गया । गैर मुमकिन रास्ते पर रेस्पोडेंट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं था । उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा 0.01 हेक्टर आराजी को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया गया था । अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा स्थगन की सूचना अपीलांट को नहीं दी गयी है । रेस्पोडेंट का कथन है कि दिनांक 21.10.2013 को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन पारित किया गया था, परन्तु कोई आदेश अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उपखण्ड अधिकारी,

अन्ता के आदेश से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई थी और इस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था । अपीलांट को अपीलीय न्यायालय के स्थगन की कोई जानकारी नहीं थी । इस कारण रास्ते से अतिक्रमी को बेदखल किया गया, जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चन्द्र बाई के खाते की है जो रेस्पोडेंट की मॉ है इस आराजी में से 0.01 हेक्टर आराजी पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ता कायम किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई जिनके द्वारा स्थगन दिया गया । स्थगन के बावजूद बेदखली की कार्यवाही की गई । इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार की थी, जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.10.2013 की फोटो प्रति सलंग्न है । उपखण्ड अधिकारी अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2013 से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.13 हेक्टर में से 0.01 हेक्टर में रास्ता कायम करने के आदेश दिये थे और इस आदेश को इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.10.2013 से स्थगित किया गया था । अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद विचारणीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.09.2014 को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिस दिन बेदखली का आदेश पारित किया गया है उस दिन राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थगन आदेश प्रभावी था । इन तथ्यों के

आधार परअधीनस्थ न्यायालय का बेदखली का आदेश स्थगन आदेश प्रभावी होने से निरस्त होने योग्य है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा